गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 024
दि. 24.05.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

एआईएडीएमके में सुलह की आहट, बदलते तमिलनाडु राजनीतिक समीकरणों ने बढ़ाया एकता का दबाव

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से जारी अंदरूनी खींचतान के बीच All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam यानी एआईएडीएमके में अब सुलह और एकता के संकेत दिखाई देने लगे हैं। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी के भीतर कई महीनों से चल रहा असंतोष अब बातचीत और समझौते की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री Joseph Vijay द्वारा हाल ही में किए गए मंत्रिमंडल विस्तार और सहयोगी दलों को सरकार में शामिल किए जाने के बाद राज्य की राजनीति में तेजी से बदले समीकरणों ने एआईएडीएमके नेतृत्व और असंतुष्ट नेताओं दोनों पर दबाव बढ़ा दिया है। यही कारण है कि अब पार्टी के भीतर एकता बहाल करने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं।

सूत्रों के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कुछ प्रभावशाली शुभचिंतकों की पहल पर दोनों गुटों के बीच अनौपचारिक संवाद शुरू हो चुका है। ये बातचीत एआईएडीएमके महासचिव Edappadi K. Palaniswami यानी ईपीएस गुट और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं C. Ve. Shanmugam तथा S. P. Velumani के नेतृत्व वाले असंतुष्ट खेमे के बीच मतभेद दूर करने के उद्देश्य से की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और संवाद का सिलसिला अभी जारी है।

पार्टी के अंदर चल रही यह कवायद ऐसे समय में सामने आई है जब हालिया चुनावों में एआईएडीएमके को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई और पार्टी के भीतर नेतृत्व, संगठन और रणनीति को लेकर असंतोष खुलकर सामने आने लगा था। कई वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के चुनावी प्रदर्शन और संगठनात्मक फैसलों पर सवाल उठाए थे। इसके बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने आशंका जताई थी कि यदि समय रहते पार्टी नेतृत्व ने असंतुष्ट नेताओं को साथ नहीं लिया, तो विपक्षी राजनीति में एआईएडीएमके की स्थिति और कमजोर हो सकती है।

सूत्रों का कहना है कि सुलह प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा चुनाव आयोग में दायर की गई शिकायत को लेकर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ईपीएस गुट ने साफ संकेत दिया है कि यदि असंतुष्ट नेता चुनाव आयोग में दायर शिकायत वापस लेते हैं, तभी औपचारिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरी ओर विद्रोही गुट की मांग है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान संगठन से हटाए गए नेताओं और पदाधिकारियों को फिर से पार्टी में सम्मानपूर्वक बहाल किया जाए। दोनों पक्षों के बीच फिलहाल इसी मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश चल रही है।

दरअसल विद्रोही गुट ने पहले चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में असंतुष्ट नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य पार्टी के प्रतिष्ठित 'दो पत्ती' चुनाव चिन्ह को फ्रीज कराना नहीं था। उन्होंने दावा किया कि उनका मकसद केवल संगठनात्मक मुद्दों और पार्टी के भीतर संवाद की कमी को सामने

लाना था। अब सूत्रों का कहना है कि यदि दोनों पक्षों के बीच सम्मानजनक समझौता हो जाता है, तो शिकायत वापस लेने पर भी विचार किया जा सकता है।

तमिलनाडु की राजनीति में हालिया हलचल उस समय और तेज हो गई जब मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए सहयोगी दलों को सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व दिया। इस विस्तार में Viduthalai Chiruthaigal Katchi के विधायक वन्नी अरसु और Indian Union Muslim League के विधायक ए.एम. शाहजहां को मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल का आकार बढ़कर 35 सदस्यों तक पहुंच गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से एआईएडीएमके, के भीतर नई राजनीतिक चिंता पैदा कर दी है। सत्ता पक्ष की एकजुटता और सहयोगी दलों की मजबूती ने विपक्ष पर भी एकजुट होने का दबाव बढ़ाया है।

मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद एआईएडीएमके के भीतर सुलह की चर्चाएं तेज हो गईं। इस बीच वरिष्ठ नेता एस.पी. वेलुमणि का बयान भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है और सभी नेताओं को संगठन की मजबूती के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वेलुमणि ने यह भी कहा कि पार्टी के हालिया चुनावी प्रदर्शन पर गंभीर समीक्षा और खुली चर्चा की आवश्यकता है। राजनीतिक हलकों में उनके इस बयान को सुलह प्रक्रिया के सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

विश्लेषकों का कहना है कि एआईएडीएमके के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती खुद को एक मजबूत और संगठित विपक्ष के रूप में फिर से स्थापित करना है। दिवंगत नेता J. Jayalalithaa के निधन के बाद पार्टी लगातार अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष से जूझती रही है। कई बार पार्टी में एकता के प्रयास हुए, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। अब जबकि तमिलनाडु की राजनीति तेजी से नए समीकरणों की ओर बढ़ रही है, एआईएडीएमके के लिए संगठनात्मक एकजुटता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि दोनों गुटों के बीच समझौता हो जाता है, तो इससे एआईएडीएमके को आने वाले चुनावों में नई ताकत मिल सकती है। पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए भी यह आवश्यक माना जा रहा है। वहीं यदि मतभेद लंबे समय तक जारी रहते हैं, तो इसका लाभ सत्तारूढ़ गठबंधन और अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल सकता है। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पर्दे के पीछे चल रही बातचीत किसी औपचारिक समझौते तक पहुंच पाएगी या नहीं। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी यह उम्मीद बढ़ी है कि लंबे समय से चला आ रहा आंतरिक संघर्ष समाप्त हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय दोनों गुटों के राजनीतिक हितों, नेतृत्व की भूमिका और संगठनात्मक समझौते पर निर्भर करेगा। एआईएडीएमके के भीतर शुरू हुई यह सुलह प्रक्रिया केवल संगठनात्मक मामला नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे तमिलनाडु की भविष्य की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यदि पार्टी एकजुट होकर सामने आती है, तो राज्य की विपक्षी राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

मिशनरीज ऑफ चैरिटी विवाद पर भाजपा-टीएमसी आमने-सामने
अमित मालवीय ने सागरिका घोष के आरोपों को बताया भ्रामक

नई दिल्ली। Bharatiya Janata Party और All India Trinamool Congress के बीच एक बार फिर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। इस बार विवाद ईसाई संस्थानों और Missionaries of Charity को लेकर सामने आया है। भाजपा के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी और पश्चिम बंगाल के सह-प्रभारी Amit Malviya ने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद Sagarika Ghose द्वारा लगाए गए आरोपों का तीखा खंडन करते हुए उन्हें "झूठा, भ्रामक और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने वाला" बताया है। इस मुद्दे ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।

पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने कोलकाता स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के 'मदर हाउस' का दौरा किया। उनके दौरे के बाद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ईसाई संस्थानों और मिशनरीज ऑफ चैरिटी जैसे संगठनों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है तथा प्रस्तावित एफसीआरए कानूनों के जरिए उनकी विदेशी सहायता रोकने की कोशिश की जा रही है। घोष ने यह भी संकेत दिया कि धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं पर प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है।

इन आरोपों के सामने आने के बाद भाजपा की ओर से अमित मालवीय ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सागरिका घोष के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक प्रचार और गलत सूचना फैलाने का प्रयास है। मालवीय ने कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए पंजीकरण पूरी तरह सक्रिय है और इसकी वैधता 31 दिसंबर 2026 तक बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्था से जुड़ा कोई आवेदन लंबित नहीं है और न ही केंद्र सरकार द्वारा उसकी विदेशी फंडिंग रोकने की कोई कार्रवाई की गई है।

अमित मालवीय ने कहा कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए इस तरह के आरोप लगाना गैर-जिम्मेदाराना राजनीति को दर्शाता है। उनके अनुसार केंद्र सरकार सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ कानून के दायरे में समान व्यवहार करती है और किसी भी संस्था के खिलाफ राजनीतिक या धार्मिक आधार पर कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने यह भी कहा कि एफसीआरए नियमों का पालन सुनिश्चित करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है और इसे किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत करना गलत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रति कठोर रवैया अपनाने का आरोप लगाती रही है, जबकि भाजपा इन आरोपों को राजनीतिक ध्रुवीकरण की रणनीति बताती है। ऐसे में मिशनरीज ऑफ चैरिटी को लेकर शुरू हुआ यह नया विवाद दोनों दलों के बीच वैचारिक संघर्ष को और तेज कर सकता है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना Mother Teresa ने की थी और यह संस्था दुनिया भर में गरीबों, बीमारों, अनाथों और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए जानी जाती है। कोलकाता स्थित इसका 'मदर हाउस' वैश्विक स्तर पर पहचान रखता है और यहां हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का हालिया दौरा भी इसी कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस दौरे के बाद उठे विवाद ने इस मुद्दे को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम भारत में विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था है।

तमिलनाडु सरकार का बड़ा प्रशासनिक एक्शन, 100 से अधिक शॉर्ट-टर्म टेंडर रद्द, कई अधिकारियों पर गिरी गाज

चेन्नई। C. Joseph Vijay के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में जारी 100 से अधिक शॉर्ट-टर्म टेंडरों को रद्द कर दिया है और नियमों की अनदेखी करने वाले कई अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित भी कर दिया है। इस फैसले को नई सरकार की प्रशासनिक सख्ती और भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई लोक निर्माण, बिजली, ग्रामीण विकास, परिवहन, नगर प्रशासन और जल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभागों में की गई है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान विभिन्न विभागों में जारी टेंडरों की विस्तृत

समीक्षा कराई गई, जिसमें कई मामलों में प्रक्रिया संबंधी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से ऐसे टेंडरों को निरस्त करने का फैसला लिया। दरअसल शॉर्ट-टर्म टेंडर वह प्रक्रिया होती है जिसमें सामान्य निविदाओं की तुलना में बहुत कम समय देकर बोली आमंत्रित की जाती है। आमतौर पर इस व्यवस्था का उपयोग आपातकालीन या अत्यधिक जरूरी परियोजनाओं के लिए किया जाता है, ताकि कार्यों में देरी न हो और परियोजनाएं तेजी से शुरू की जा सकें। लेकिन लंबे समय से इस प्रणाली के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का आरोप रहा है कि कम समय सीमा के कारण कई योग्य कंपनियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाती है और पारदर्शिता प्रभावित होती है।

तमिलनाडु सरकार ने अब स्पष्ट संकेत दिया है कि शॉर्ट-टर्म टेंडर केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही जारी किए जाएंगे और इसका उपयोग नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकेगा। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक 13 मई से 22 मई 2026 के बीच जारी टेंडरों की विशेष समीक्षा की गई थी। इस दौरान पाया गया कि कई विभागों में बिना पर्याप्त कारण बताए कम समय सीमा में टेंडर जारी किए गए थे। कुछ मामलों में आवश्यक प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों का भी पूरी तरह पालन नहीं किया गया था।

जांच के बाद सरकार ने केवल टेंडर रद्द करने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। विशेष रूप से चेन्नई कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विकास विभाग के कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए शॉर्ट-टर्म टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और नियमों के पालन में लापरवाही बरती। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में अन्य विभागों में भी जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी खर्च की निगरानी को मजबूत करना और निविदा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

बीजेपी में शामिल होते ही राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी
राज्यसभा की अहम समिति की कमान सौंपी गई

नई दिल्ली। हाल ही में Bharatiya Janata Party में शामिल हुए राज्यसभा सांसद Raghav Chadha को संसद में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हें राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को भाजपा नेतृत्व द्वारा राघव चड्ढा पर जताए गए भरोसे और उन्हें पार्टी के भीतर तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभापति C. P. Radhakrishnan ने 20 मई 2026 से प्रभावी रूप से याचिका समिति का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठित समिति में कुल 10 सदस्यों को नामित किया गया है और राघव चड्ढा को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि भाजपा में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उन्हें संसद की एक महत्वपूर्ण समिति की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

समिति में राघव चड्ढा के अलावा हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंककुमार नायक, मस्तान राव यादव बीधा, जेबी माथेर हिशाम, सुभाशीष खुंटिया, रंगग्रा नारजारी और संदोश कुमार पी को शामिल किया गया है। संसदीय व्यवस्था में याचिका समिति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह समिति नागरिकों द्वारा संसद में भेजी गई याचिकाओं और जनहित से जुड़े मामलों की समीक्षा करती है तथा उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस समिति की अध्यक्षता मिलने से राघव चड्ढा की संसदीय भूमिका और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे।

राज्यसभा सचिवालय की एक अन्य अधिसूचना में यह भी जानकारी दी गई कि Menaka Guruswamy को कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया गया है। संसद के भीतर विभिन्न समितियों के पुनर्गठन को आगामी विधायी और नीतिगत गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राघव चड्ढा का भाजपा में शामिल होना हाल के समय की सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाओं में से एक माना गया था। वे पहले Aam Aadmi Party के प्रमुख युवा चेहरों में गिने जाते थे और संसद के भीतर सरकार के खिलाफ मुखर भूमिका निभाते रहे थे। लेकिन अप्रैल 2026 में उन्होंने छह अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी भी शामिल थे। इस घटनाक्रम ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में स्थिति को कमजोर कर दिया और पार्टी के भीतर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई।

इन सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सभापति से उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। हालांकि संसदीय और संवैधानिक प्रावधानों के तहत दो-तिहाई सांसदों के एक साथ दल बदलने की स्थिति को "विलय" माना जाता है, जिसके कारण यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से चर्चा में रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सात सांसदों के एक साथ भाजपा में शामिल होने से राज्यसभा में भाजपा और एनडीए की स्थिति और मजबूत हुई है।

राघव चड्ढा की नई नियुक्ति को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भाजपा समर्थक इसे उनकी संसदीय क्षमता और प्रशासनिक समझ का सम्मान बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे भाजपा की राजनीतिक रणनीति और नए सहयोगियों को तत्काल महत्व देने की नीति से जोड़कर देख रहे हैं। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि भाजपा युवा चेहरों को आगे बढ़ाकर अपनी संसदीय टीम को अधिक आक्रामक और प्रभावशाली बनाने की कोशिश कर रही है।

राघव चड्ढा लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं और रणनीतिक चेहरों में शामिल रहे थे। संसद में आर्थिक नीतियों, पेपर लीक, कर व्यवस्था और शासन से जुड़े मुद्दों पर उनके भाषण चर्चा में रहते थे। भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थीं। अब राज्यसभा की महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता मिलने के बाद यह संकेत और मजबूत माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका देने की तैयारी में है। संसदीय समितियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इन्हीं समितियों के माध्यम से कई जटिल विषयों पर विस्तृत अध्ययन और समीक्षा की जाती है। याचिका समिति विशेष रूप से नागरिकों की शिकायतों, सुझावों और जनहित से जुड़े मुद्दों को संसद तक पहुंचाने का मंच प्रदान करती है। ऐसे में राघव चड्ढा की नियुक्ति को केवल राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि संसदीय जिम्मेदारी के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात पर भी नजरें हैं कि भाजपा में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा की नई राजनीतिक दिशा क्या होगी। आने वाले समय में संसद के भीतर उनकी भूमिका, भाजपा नेतृत्व के साथ उनकी सक्रियता और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी स्थिति को लेकर चर्चाएं और तेज होने की संभावना है।

संपादकीय

मां-बाप का हक

संवेदनाओं के क्षरण व आत्मकेंद्रित होती नई पीढ़ी के दौर में मां-बाप की बेकद्री विचलित करने वाली है। यह विडंबना ही है कि उन मां-बाप की देखभाल करने का निर्देश अदालत को देना पड़ रहा है, जिनका ऋण वे कभी चुका ही नहीं सकते। मां के रक्त से सींचे गए और पिता की पसीने से पले-बढ़े बेटे से यदि अदालत को कहना पड़े कि 'मां को घर में रहने के लिये एक कमरा, अलग बाथरूम और बुनियादी सुविधाएं दी जाएं', तो यह बात शर्मसार करने वाला है। जिस मां ने नौ माह तक बेटे को अपने पेट में पाला, उसे घर में रहने देने के लिये अदालत को निर्देश देना पड़े, इससे बड़ा कृतघ्नता का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। भले ही यह कोर्ट का आदेश हो, लेकिन यह एक अलिखित नैतिक दायित्व पहले से ही है। निश्चय ही यह घटनाक्रम हमारे समाज की बेहद कष्टदायक होती तसवीर को ही उकेरता है। सामान्य तौर पर मां-बाप अपना पेट काटकर, अपने सुख-सुविधाओं पर समझौता कर, बच्चों को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। एक मां-बाप ही होते हैं जो सच्चे मन से अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं। निस्संदेह, ऐसी पढ़ी-लिखी संतानों से अनपढ़ संतानें बेहतर हैं, जो कम से कम अपने वृद्ध माता-पिता के पास रहकर उनका ख्याल तो रखती हैं। यह सवाल परेशान करने वाला है कि जिस समाज में 'मातृ देवो भव' की सर्वस्वीकार्य मान्यता रही हो, वहां ये कैसी कलयुगी संतानें जन्म ले रही हैं? मां-बाप की बेकद्री की यह अकेली कहानी नहीं है, हर रोज अखबारों में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें धन-संपत्ति के लिये मां-बाप से क्रूरता की जा रही होती है। निस्संदेह, यदि उनकी अवहेलना व उत्पीड़न का यह क्रम यूं ही चलता रहा तो बहुत संभव है भारत में भी पश्चिमी देशों जैस चलन शुरू हो जाएगा, जहां मां-बाप बच्चों को होश संभालने के बाद ही उन्हें पैरों पर खड़ा होने के लिये चलता कर देते हैं।

दरअसल, पश्चिमी देशों में मां-बाप मानकर चलते हैं कि बड़े होकर बच्चों ने उनकी देखभाल नहीं करनी, अतः इनसे पहले ही किनारा कर लो। आधुनिकता व तरक्की की लाख इबारतें लिख ली जाएं, भारतीय समाज कभी पश्चिमी समाज की तर्ज पर नहीं चल सकता। भारत श्रवण कुमार का देश है और आज भी अधिसंख्य संतानें अपने मातृ-पितृ ऋण उतारती हैं। उनका ख्याल रखती हैं। विकृतियां महानगरीय संस्कृति की भी देन हैं। बच्चों की भी अपनी दुश्वारियां हैं। फिर भी भारतीय संस्कृति में वो शक्ति है जो पारिवारिक मूल्यों को सींचती है। बहरहाल, माता-पिता की सेवा-सम्मान व बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना महज एक सांस्कृतिक दिखावा नहीं है बल्कि संतानों का नैतिक-कानूनी दायित्व भी है। हाल ही में कोर्ट ने जिस घर में बेटे को वृद्ध मां को एक कमरा आदि देने को कहा, वह मकान वृद्धा के दिवंगत पति द्वारा ही बनाया गया था। जिसमें अपना हक पाने हेतु उसे न्यायिक हस्तक्षेप का सहारा लेना पड़ा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि किसी वृद्ध मां को आश्रय और आत्म स्वाभिमान हेतु बच्चों के खिलाफ कोर्ट-कचहरी करनी पड़े। निस्संदेह, यह उस भारतीय संयुक्त परिवार परंपरा का पराभव ही है जिसकी मिसाल पश्चिमी भोगवादी संस्कृति के अगुवा दिया करते थे। यहां न्यायालय के संवेदनशील व न्यायपूर्ण निर्णय की मुक्त कंठ से सराहना करनी होगी, जिसमें कोर्ट ने निर्णय के खिलाफ दी गई पुत्र की याचिका को खारिज कर जुर्माना लगाया। यह कष्टकारी ही है कि देशभर की अदालतें परित्यक्त-प्रताड़ित माता-पिता से जुड़े विवादों का सामना कर रही हैं। न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों ने दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को बेदखल करने तक के आदेश दिए हैं। अदालतों द्वारा माता-पिता द्वारा अर्जित संपत्ति पर उनके अधिकारों को बरकरार रखने ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 को सुदृढ़ ही किया है। न्यायपालिका ने संपत्ति के अधिकार के साथ ही कल्याण संबंधी चिंताओं को भी सावधानीपूर्वक संतुलित किया है। न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पारिवारिक झगड़ों में कानून का दुरुपयोग न हो। लेकिन फिर भी संकट का समाधान सिर्फ कानून से संभव नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला संदेश देता है कि विरासत पर बातचीत हो सकती है, लेकिन मानवता पर नहीं।

युवा मन की पीड़ा व आक्रोश को समझें

"पिछले पच्चीस सालों में सौ से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 'फ्री स्पीच कलेक्टिव' के अनुसार भारत में पिछले दो दशकों में पचास से अधिक पत्रकार पेशेवर कार्यों के कारण मारे जा चुके हैं। ऐसे लोगों को जब कोई कॉकरोच या परजीवी कहे तो दुख भी होना चाहिए और गुस्सा भी आना चाहिए।"

पिछले कुछ दिनों से अचानक कॉकरोच यानी तिलचट्टा देश में चर्चा का विषय बन गया है। नहीं, कॉकरोच ने कुछ नया नहीं किया है। हुआ यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत के मुखिया ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपनी अलिखित टिप्पणी में कॉकरोच का नाम लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि देशभर में चर्चा चल पड़ी है। मामला एक वकील द्वारा 'वरिष्ठ वकील' कहलाये जाने की मांग को उठाये जाने का था। उसकी मांग को अनुचित बताते हुए मुख्य न्यायाधीश महोदय ने उस जैसे वकीलों की तुलना कॉकरोच से कर दी। उन्होंने कहा, कुछ बेरोज़गार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट आदि बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। स्पष्ट है उन्हें वह वकील महोदय भी सिस्टम पर हमला करने वाले लगे होंगे। मुख्य न्यायाधीश तो यह टिप्पणी करके चुप हो गये थे, पर इस टिप्पणी को लेकर देश बोलने लगा। बेरोज़गारों, एक्टिविस्टों, मीडिया कर्मियों, ने मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी को अनुचित ही नहीं, शर्मनाक भी बताया। सचमुच, यह समझना आसान नहीं है कि देश के सर्वोच्च पदों में से एक पर बैठने वाला व्यक्ति देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच जैसे जीव कैसे कर सकता है!

बात जब बढ़ने लगी तो न्यायाधीश महोदय ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा कि उनकी बात को अनुचित रूप से सामने रखा जा रहा है, उनका मुख्य निशाना तो उन लोगों पर था जो फर्जी डिग्रियों से कानूनी पेशे में आ जाते हैं और सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। जहां तक भारत के युवाओं का सवाल है, उन्हें तो वह 'विकसित भारत का स्तंभ' मानते हैं। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि उन्हें 'युवाओं की वर्तमान और भविष्य की क्षमता पर गर्व है'। होना तो यह चाहिए था कि इस स्पष्टीकरण के बाद विवाद यहीं समाप्त हो जाता, पर हुआ नहीं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं, एक्टिविस्टों, मीडिया कर्मियों की तुलना कॉकरोच से किया जाना लोगों को रास नहीं आ रहा। मुख्य न्यायाधीश ने सिर्फ कॉकरोच ही नहीं कहा, उनके लिए 'परजीवी' शब्द का इस्तेमाल भी किया। यदि यह विशेषण युवा भारत को आहत कर रहा है तो इसे ग़लत नहीं कहा जा सकता। मुख्य न्यायाधीश चाहते तो कॉकरोच या परजीवी जैसे शब्दों के अनुचित उपयोग पर क्षमा मांग सकते थे। क्षमता नहीं मांगते तो कम से कम खेद तो व्यक्त कर ही सकते थे। उनका ऐसा करना एक उदाहरण होता उन सबके लिए जो सार्वजनिक व्यवहार में इस तरह के शब्द अक्सर बोल जाते हैं। सवाल शब्दों का ही नहीं है, इनके पीछे की मानसिकता का है। देश के युवाओं को कॉकरोच या परजीवी कहने की इस मानसिकता को समझना ज़रूरी है। कथित ग़लत काम करने के लिए किसी को सांप या बिच्छू भी कहा जा सकता था। पर जाने-अनजाने मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। कॉकरोच शब्द अपने आप में एक लंबी कहानी और प्रवृत्ति को उजागर करता है। आज जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, उसका जन्म शायद जुरासिक काल में हुआ था– आज से 320 मिलियन साल पूर्व। यह शायद अकेला जीव है जो तीन करोड़ सालों से अधिक समय से धरती पर है और कहते हैं इसका अस्तित्व कभी समाप्त भी नहीं होगा। न्यूक्लियर युद्ध के बाद भी कॉकरोच के धरती पर बने रहने की बात भी वैज्ञानिक कहते रहते हैं! महान जर्मन कथाकार फ्रांज काफ्का की कहानी 'दि मेटामार्फोसिस' में कॉकरोच का सीधा वर्णन तो नहीं किया गया, पर कहानी का मुख्य पात्र ग्रेगर सामसा एक खतरनाक कीड़े में बदल जाता है। काफ्का ने इसके लिए एक जर्मन शब्द 'अनजेसिफर' का इस्तेमाल किया है, इसका अर्थ 'गंदा कीड़ा' या 'बीमारी फैलाने वाला जीव' होता है। वस्तुतः कहानी में एक जीव का इस कीड़े के रूप में कायांतरण होता है। जिसकी मृत्यु उसके परिवार के लिए महत्वहीन होने की अनुभूति थी। आप चाहें तो इस 'अनजेसिफर' को घृणा करने योग्य कीड़े के रूप में देख सकते हैं; जो लिजलिजा है; जो गंदे गीले माहौल में पलता है; जो परजीवी है– और जो किसी काम का नहीं रहा है। जब हम किसी को कॉकरोच या तिलचट्टा कहते हैं तो वस्तुतः हम उसे एक ऐसे जीव के रूप में देख रहे होते हैं जो किसी काम का नहीं है, जो अंधेरे में जीता है, जो छिपकर वार करता है, जो परजीवी है! आज यदि देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं को कॉकरोच कहे जाने पर आपत्ति है तो उसके पीछे उस मानसिकता के नकार की प्रवृत्ति है जो परजीवी को एक गाली के रूप में देखती है। सांप-बिच्छू जैसे जीवों के विपरीत कॉकरोच को छिपे हुए संक्रमण और उपेक्षित जगहों पर रहने से जोड़ा जाता है। उसका लिजलिजापन एक अजीब-सी अनुभूति उत्पन्न करता है। देश के बेरोजगारों को परजीवी मानने-कहने का मतलब देश के एक करोड़ से अधिक युवाओं को नाकारा बतलाना है। उनका अपराध या पाप यही है कि हमारी व्यवस्था उन्हें रोजगार नहीं दे पायी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग और मानव विकास संस्थान के एक सर्वेक्षण के अनुसार पंद्रह से उन्तीस वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले भारतीय युवाओं में 83 प्रतिशत बेरोज़गार हैं। इन बेरोज़गारों में से 67 प्रतिशत युवा स्नातक हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि सन् 2000 की तुलना में आज यह संख्या दुगनी हो चुकी है। तब 35 प्रतिशत युवा बेरोज़गार थे, आज 65 प्रतिशत से अधिक युवा रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं। आखिर क्यों? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? किसका दायित्व है इन युवाओं को रोज़गार देना? फिर, जब इन युवाओं में से कुछ आर टी आई कार्यकर्ता बन जाते हैं, मीडियाकर्मी के रूप में काम करने लगते हैं या व्यवस्था के प्रति अपना गुस्सा अभिव्यक्त करते हैं तो उन्हें परजीवी कॉकरोच कहा जाता है! आखिर क्यों? किसी को कॉकरोच कहने की इस मानसिकता के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत आक्रोश नहीं होता। देश का मुख्य न्यायाधीश जब ऐसे शब्दों से अपना आक्रोश या अपनी पीड़ा व्यक्त करता है तो हमला व्यक्ति या स्थिति पर नहीं, लोकतंत्र की आत्मा पर होता है। सन् 2005 में देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, तब से लेकर आज तक न जाने कितनी बार सरकार से उनकी संख्या मांगी गयी जो इस कार्य को करते हुए मारे गये, पर यह आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। गैर सरकारी संगठनों के अनुमान के अनुसार पिछले पच्चीस सालों में सौ से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 'फ्री स्पीच कलेक्टिव' के अनुसार भारत में पिछले दो दशकों में पचास से अधिक पत्रकार पेशेवर कार्यों के कारण मारे जा चुके हैं। ऐसे लोगों को जब कोई कॉकरोच या परजीवी कहे तो दुख भी होना चाहिए और गुस्सा भी आना चाहिए। यह एक अच्छी बात है कि आज यह पीड़ा और क्षोभ उफन कर सामने आ रहा है। इस पीड़ा को समझने की आवश्यकता है, इसकी उपेक्षा करने की नहीं।

प्रेरणा

करुणा की ज्योति बनी एक स्त्री

मानव जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं, जो केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि उनका पूरा अस्तित्व समाज के दुखों को मिटाने के लिए समर्पित हो जाता है। वे अपने सुख, वैभव और व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर मानवता की सेवा को ही अपना धर्म बना लेते हैं। ऐसी ही महान आत्माओं में एक नाम था Jane Addams का। वे केवल एक समाजसेविका नहीं थीं, बल्कि करुणा, त्याग और सेवा की जीवित प्रतिमा थीं। जिस युग में लोग धन और प्रतिष्ठा को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे, उस समय जेन एडम्स ने मानव सेवा को अपनी साधना बना लिया। यही कारण है कि लोग उन्हें "देहधारी देवी" कहकर सम्मानित करते थे।

जेन एडम्स का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रतिष्ठित सीनेटर और बड़े उद्योगपति थे। घर में धन, वैभव और सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता अपनी एकमात्र पुत्री के लिए अपार संपत्ति संजोकर रखना चाहते थे ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। सामान्यतः ऐसे वातावरण में पले-बढ़े लोग विलासिता के जीवन में खो जाते हैं, लेकिन जेन का स्वभाव बचपन से ही अलग था। उन्हें भोग-विलास की वस्तुओं में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। उनका मन श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन, चिंतन और समाज के दुखों को समझने में लगता था।

जब अन्य युवतियां फैशन, आभूषण और मनोरंजन में समय बिताती थीं, तब जेन महान लेखकों और विचारकों की पुस्तकों का अध्ययन करती थीं। वे अक्सर गरीबों और पीड़ितों के जीवन के बारे में सोचतीं और मन ही मन यह प्रश्न करतीं कि आखिर ईश्वर ने संसार में इतना असमानता क्यों बनाई है। एक ओर लोग अपार संपत्ति में जीते हैं और दूसरी ओर हजारों लोग भोजन और आश्रय के लिए तरसते हैं। यह विचार धीरे-धीरे उनके जीवन का उद्देश्य बन गया।

पिता के निधन के बाद उनके सामने अपार संपत्ति थी। वे चाहतीं तो राजसी जीवन जी सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के लिए एक अलग मार्ग चुना। उन्होंने निर्णय लिया कि यह संपत्ति केवल उनके व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए उपयोग होगी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और उस धन से अमेरिका में एक मानव सेवा संस्थान की स्थापना की, जिसे "डल हाउस" कहा गया। यह केवल एक भवन नहीं था, बल्कि हजारों दुखी और असहाय लोगों के लिए आशा का केंद्र बन गया।

डल हाउस का उद्देश्य केवल सस्ता भोजन और सस्ता निवास उपलब्ध कराना नहीं था। वास्तव में जेन एडम्स इसके माध्यम से लोगों के जीवन में आत्मसम्मान और नैतिक जागरण लाना चाहती थीं। वहां आने वाले गरीब मजदूरों, प्रवासियों, महिलाओं और बच्चों को केवल भोजन ही नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें जीवन जीने की नई प्रेरणा भी मिलती थी। वहां शिक्षा, स्वच्छता, नैतिकता और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया जाता था। जेन एडम्स का विश्वास था कि यदि किसी व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिल जाए, तो वह अपना जीवन बदल सकता है। धीरे-धीरे हजारों लोग डल हाउस से जुड़ने लगे। वहां आने वाले लोग केवल सहायता प्राप्त करने वाले नहीं थे, बल्कि वे समाज निर्माण के सहभागी बनते चले गए। जेन एडम्स की करुणा और सादगी ने लोगों के हृदय को गहराई से प्रभावित किया। वे स्वयं साधारण जीवन जीती थीं, लेकिन दूसरों के दुख दूर करने के लिए दिन-रात लगी रहती थीं। उन्होंने कभी अपने लिए धन नहीं बचाया। उनके लिए सबसे बड़ा सुख किसी पीड़ित व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना था।

जेन एडम्स ने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए असाधारण कार्य किए। उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। गरीब महिलाएं शिक्षा और अधिकारों से वंचित थीं। जेन ने उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षा संस्थान और सहायता कार्यक्रम चलाए। वे मानती थीं कि यदि एक महिला शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती है, तो पूरा परिवार और समाज मजबूत होता है। उन्होंने बाल श्रम के विरोध में आवाज उठाई और बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अभियान चलाए। विकलांगों और रोगियों की सेवा में भी उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उस समय समाज में ऐसे लोगों को बोझ समझा जाता था, लेकिन जेन एडम्स उन्हें सम्मान और सहानुभूति की दृष्टि से देखती थीं। उन्होंने अनेक संस्थाओं की स्थापना की, जहां रोगियों और विकलांगों की देखभाल की जाती थी। वे हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखती थीं। उनके लिए मानव सेवा ही सच्ची पूजा थी। उनकी सेवा केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रही। उन्होंने विश्व शांति और महिला अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को संगठित कर समाज और विश्व में शांति स्थापित करना था। वे युद्ध और हिंसा की कट्टर विरोधी थीं। उनका मानना था कि युद्ध केवल विनाश लाता है, जबकि प्रेम और करुणा ही मानवता को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके महान कार्यों को देखते हुए उन्हें विश्व का सर्वोच्च सम्मान, नोबेल पुरस्कार, प्रदान किया गया। यह सम्मान उनके लिए व्यक्तिगत गौरव का विषय नहीं था। उन्होंने पुरस्कार में मिली पूरी राशि भी अंतर्राष्ट्रीय महिला लीग को दान कर दी ताकि समाज सेवा का कार्य और अधिक व्यापक रूप से चल सके। यह घटना उनके त्याग और निस्वार्थ भावना का अद्भुत उदाहरण है। आज के समय में जहां लोग छोटे-से पुरस्कार के लिए भी अहंकार से भर जाते हैं, वहां जेन एडम्स ने विश्व का सबसे बड़ा सम्मान भी मानवता के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके लिए पूरा विश्व ही उनका परिवार था। वे हर दुखी व्यक्ति में अपने प्रियजन को देखती थीं। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें सचमुच देवी का रूप मानने लगे थे। वे किसी मंदिर की मूर्ति नहीं थीं, बल्कि चलती-फिरती करुणा थीं, जो हर पीड़ित के जीवन में आशा का प्रकाश जलाती थीं। आज संसार में धनवान लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जेन एडम्स जैसे त्यागी और सेवाभावी व्यक्तित्व बहुत दुर्लभ होते हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की महानता उसकी संपत्ति में नहीं, बल्कि उसके हृदय की विशालता में होती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को अपना दुख समझता है, वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाने योग्य है। जेन एडम्स का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हमारे भीतर करुणा और सेवा का भाव हो, तो हम भी समाज में परिवर्तन ला सकते हैं।

द्विपक्षीय संबंधों को दिशा देने वाला दौरा

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का चार दिवसीय भारत दौरा किसी आम राजनयिक दौरे के सामान्य पड़ाव से कहीं बढ़कर है। यह वाशिंगटन द्वारा एक ऐसे रिश्ते को स्थिर कर उसे पटरी पर लाने के लिए नए सिरे से किए जाने वाले प्रयासों को भी रेखांकित करता है, जिन संबंधों में बीते कुछ समय से खासी उथल-पुथल रही है।

यह शक्ति संतुलन की राजनीति के प्रति भारत के निरंतर परिपक्व होते परिष्कृत दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। एक ऐसे दौर में जहां अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था विखंडन के दौर से गुजर रही है, वहां नई दिल्ली पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले क्वाड और गैर-पश्चिमी देशों के ब्रिक्स जैसे दोनों गठबंधनों के साथ जुड़ाव को और गहरा करके अपने रणनीतिक लचीलेपन को धार देने में लगी है।

रूबियो 23 से 26 मई के बीच भारत में रहेंगे। विदेश मंत्री के रूप में उनका यह पहला भारत दौरा है, जिसका प्रतीकात्मक एवं रणनीतिक दोनों स्तरों पर महत्व है। कोलकाता, जयपुर, आगरा और नई दिल्ली जैसे पड़ावों से गुजरने वाले उनके इस दौरे के बहुत गहरे निहितार्थ हैं, जिसके तार सभ्यतागत संपर्क को भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ जोड़ते हैं। स्वाभाविक है कि इसमें एक गंभीर कूटनीतिक एजेंडा भी है, जिसकी कड़ियां ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक मुद्दों, रक्षा सहयोग और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन से जुड़ी हैं। इस यात्रा का समय भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में भारत-अमेरिका संबंधों में टैरिफ, भारत की रूस के साथ निरंतर सक्रियता और क्वाड को लेकर शिथिलता के चलते तनाव दिखा है। इस परिदृश्य में रूबियो की भारत यात्रा वाशिंगटन की उसी मान्यता का प्रतीक है कि कतिपय असहमतियों के बावजूद भारत अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए अपरिहार्य बना हुआ है। इस यात्रा के केंद्र में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है। भारत के अलावा अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा हैं। समय के साथ क्वाड एक परामर्शीय मंच से बढ़कर हिंद-प्रशांत रणनीतिक ढांचे का एक केंद्रीय स्तंभ बनकर उभरा है। वाशिंगटन के लिए यह चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करने के साथ ही तकनीकी समन्वय, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन में बढ़ोतरी का एक माध्यम भी है। इसलिए क्वाड के आयोजन में रूबियो की उपस्थिति साझेदारों को यही आश्वस्त करने वाली है कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न गतिरोधों के बावजूद अमेरिका हिंद-प्रशांत को लेकर उतना ही प्रतिबद्ध है। चूंकि क्वाड एक औपचारिक गठबंधन नहीं, इसलिए यह भारत के लिए किसी खांचे में बंधे बिना ही बहुत उपयोगी प्रतीत होता है। नई दिल्ली भी इसे सामरिक छत्र प्रदान करने वाले किसी समूह के बजाय लचीली रणनीतिक साझेदारी के रूप में ही देखती है। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वाड भारत को अपनी विदेश नीति स्वायत्तता से समझौता किए बिना ही रक्षा प्रौद्योगिकी, समुद्री सहयोग और भू-राजनीतिक समन्वय के अवसर प्रदान करता है।

क्वाड बैठक की मेजबानी से कुछ दिन पहले ही भारत ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से जुड़ा आयोजन भी किया था। ब्रिक्स में अब पारंपरिक सदस्यों के साथ ईरान जैसे देश भी शामिल हैं। कुछ जानकारों के लिए दोनों स्तरों पर भारत की यह भागीदारी विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह भारत की समकालीन विदेश नीति की तार्किकता को ही प्रदर्शित करती है, जो किसी एक रेखा में चलने के बजाय बहुस्तरीय सक्रियता को वरीयता देती है। वैसे भी ब्रिक्स के माध्यम से भारत के कई उद्देश्य पूरे होते हैं।

वैश्विक दक्षिण की एक मुखर आवाज के रूप में भारत के कद को मजबूत बनाते हुए यह सहभागिता रूस के प्रति रणनीतिक सहयोग को दृढ़ता प्रदान करती है और बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती देती है। ब्रिक्स भारत को वैश्विक शासन सुधार और आर्थिक पुनर्गठन पर बहस को आकार देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। पश्चिम पर भारत की निर्भरता घटाता है। वस्तुतः ये दोनों साझेदारियां असंगति नहीं, अपितु रणनीतिक समायोजन अधिक है।

स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धी शक्ति केंद्रों के बीच भारत अपने प्रभाव को अधिकतम करने का प्रयास कर रहा है। देखा जाए तो ब्रिक्स और क्वाड की बैठकों की निकटता कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रतिकूल भू-राजनीतिक मंचों के बीच भारत की सहजता से कार्य करने की क्षमताओं को दर्शाती है। संतुलन साधने की यह कवायद भी जटिलताओं से मुक्त नहीं है। जहां वाशिंगटन रूस और चीन से संबंधित मुद्दों पर भारत से अधिक समन्वय की अपेक्षा करता है। वहीं, भारत आर्थिक वास्तविकता, रक्षा निर्भरता और सुरक्षा चिंताओं के स्तर पर अपने हित सुरक्षित करने की कवायद में इसे लेकर भी सतर्क रहता है कि कहीं मास्को या बीजिंग इसे गलत अर्थों में न लें।

वापस रूबियो की यात्रा की बात करें तो इसे वैश्विक राजनीति में एक व्यापक पुनर्संयोजन के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि तकनीकी आधुनिकीकरण, रक्षा परिवर्तन और आर्थिक विकास के लिए भारत को अमेरिका की आवश्यकता है, लेकिन भारत किसी खेमे से एकतरफा जुड़ाव न रखने को लेकर भी उतना ही दृढ़ है। इस संदर्भ में रूबियो की यात्रा भारत की समकालीन रणनीतिक पहचान को ही प्रदर्शित करती है। नई दिल्ली अब केवल शक्ति समीकरणों को ही नहीं साध रही, अपितु ध्रुवीकृत दुनिया में वैश्विक परिणामों को आकार देने के लिए संबंधों, संस्थानों और अपेक्षाओं के स्तर पर भी संतुलन बना रही है। ऐसे में रूबियो के दौरे की सफलता बड़ी-बड़ी घोषणाओं से अधिक इस पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष एक दूसरे की रणनीतिक आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित करेंगे। विशेष रूप से भारत के इस रुख को देखते हुए कि वह नए दौर के शीत युद्ध में किसी खेमे का हिस्सा बनने के बजाय भावी बहुध्रुवीय ढांचे में स्वयं को एक स्वायत्त ध्रुव के रूप में देखता है।

अभियान

जब नरसिंह के प्रचंड क्रोध को रोकने स्वयं प्रकट हुए महाकाल

सनातन धर्म की पौराणिक कथाएं केवल देवी-देवताओं की लीलाओं का वर्णन नहीं करतीं, बल्कि वे ब्रह्मांड के रहस्यों, धर्म के सिद्धांतों और शक्ति के संतुलन का गहरा संदेश भी देती हैं। इन कथाओं में हर घटना के पीछे कोई न कोई दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। भगवान Shiva और भगवान Vishnu को हिंदू धर्म में एक ही परम सत्य के दो स्वरूप माना गया है। एक सृष्टि के पालनकर्ता हैं तो दूसरे संहार और पुनर्निर्माण के अधिपति। दोनों ही एक-दूसरे के परम पूज्य और अभिन्न माने जाते हैं। लेकिन पुराणों में एक ऐसा प्रसंग भी आता है, जब सृष्टि की रक्षा के लिए इन दोनों दिव्य शक्तियों को आमने-सामने आना पड़ा। यह घटना इतनी रहस्यमयी और विराट थी कि देवता, ऋषि और समस्त लोक भय और विस्मय से भर उठे थे। यही वह समय था, जब महादेव को अपना अत्यंत दुर्लभ और भयंकर शरभ अवतार धारण करना पड़ा।

यह कथा उस युग की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में भय फैला रखा था। वह अत्यंत शक्तिशाली असुर था और उसने वर्षों तक घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए, तब उसने अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकश्यप ने अत्यंत चतुराई से ऐसा वरदान मांगा, जिससे उसे मारना लगभग असंभव हो जाए। उसने वरदान लिया कि न उसे कोई मनुष्य मार सके और न पशु, न दिन में उसकी मृत्यु हो और न रात में, न घर के भीतर और न बाहर, न किसी अस्त्र से और न शस्त्र से, न धरती पर और न आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। जो भी विष्णु की पूजा करेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा।

लेकिन उसी दैत्यराज का पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। बालक प्रह्लाद के हृदय में केवल नारायण का वास था। वह हर समय विष्णु नाम का जाप करता रहता था। पिता ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब प्रह्लाद नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप क्रोध से भर उठा। उसने अपने ही पुत्र को अनेक यातनाएं दीं। कभी उसे विषैले सर्पों के बीच फिंकवाया गया, कभी पर्वत से नीचे गिराया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया और कभी आग में बैठाया गया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की।

धीरे-धीरे हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता गया। एक दिन उसने प्रह्लाद को अपने दरबार में बुलाया और गर्जना करते हुए पूछा, "कहां है तेरा विष्णु? क्या वह इस महल में है?" प्रह्लाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, "भगवान हर जगह हैं।" हिरण्यकश्यप ने व्यंग्य करते हुए महल के एक विशाल स्तंभ की ओर इशारा किया और पूछा, "क्या वह इस स्तंभ में भी है?" प्रह्लाद ने बिना डरे कहा, "हां, भगवान यहां भी हैं।"

इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध में पागल हो उठा। उसने अपनी गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया। जैसे ही स्तंभ टूटा, पूरा ब्रह्मांड एक भयंकर गर्जना से कांप उठा। उस स्तंभ से भगवान विष्णु एक अद्भुत और विकराल रूप में प्रकट हुए। यह रूप था नरसिंह अवतार। उनका शरीर आधा मनुष्य और आधा सिंह का था। विशाल दांत, अग्नि के समान चमकती आंखें, तीखे नाखून और प्रचंड तेज देखकर देवता तक भयभीत हो उठे।

भगवान नरसिंह ने संध्या समय हिरण्यकश्यप को राजमहल की चौखट पर पकड़ लिया। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर रखा और न अस्त्र का प्रयोग किया और न शस्त्र का। अपने नुकीले नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की हर शर्त बनी रही और अधर्म का अंत भी हो गया।

लेकिन हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप और भी प्रचंड होता जा रहा था। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप रही थीं। पृथ्वी डोलने लगी, समुद्रों में तूफान उठने लगे और आकाश में अग्नि की लपटें फैलने लगीं। देवता भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि यदि भगवान नरसिंह का क्रोध इसी प्रकार बढ़ता रहा, तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवताओं ने पहले माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वे भगवान नरसिंह को शांत करें। लेकिन उस समय नरसिंह का रूप इतना उग्र था कि माता लक्ष्मी भी उनके समीप नहीं जा सकीं। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय केवल महादेव ही इस प्रचंड शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करने लगे।

महादेव ने देवताओं की व्यथा सुनी। वे जानते थे कि भगवान विष्णु का यह रूप धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुआ है, लेकिन अब उसका शांत होना आवश्यक है। सृष्टि का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी था जितना अधर्म का विनाश करना। इसलिए भगवान शिव ने पहले अपने परम पराक्रमी अंशावतार वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र वही थे जिन्होंने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वे अत्यंत उग्र और अपराजेय योद्धा माने जाते थे।

वीरभद्र भगवान नरसिंह के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले कि अब अधर्म का अंत हो चुका है, इसलिए वे शांत हो जाएं। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध उस समय अपने चरम पर था। उनकी अग्नि समान दृष्टि और गर्जना से दिशाएं कांप रही थीं। उन्होंने वीरभद्र की बात नहीं मानी। जब सभी उपाय विफल हो गए, तब स्वयं भगवान शिव ने एक ऐसा रूप धारण किया, जिसका वर्णन सुनकर भी मन कांप उठे। यह था शरभ अवतार। शिव पुराण में इस रूप को अत्यंत रहस्यमयी और भयंकर बताया गया है। शरभ रूप आधा सिंह, आधा पक्षी और अत्यंत विशालकाय था। उसके आठ पैर थे, विशाल पंख थे और उसके शरीर से अग्नि के समान तेज निकल रहा था। उसके पंजे अत्यंत नुकीले थे और दांत वज्र के समान कठोर थे। उसकी गर्जना से ब्रह्मांड में कंपन होने लगा।

शास्त्रों में वर्णन मिलता है—

"पक्षसिंहमृगाकारं शरभं लोकपावनम्।
अष्टपादं महावीर्यं तीक्ष्णदंष्ट्रं नखाकरम्।।"

अर्थात शरभ रूप पक्षी और सिंह के समान था, आठ पैरों वाला, अत्यंत शक्तिशाली, तीक्ष्ण दांतों और नाखूनों से युक्त तथा समस्त लोकों को पवित्र करने वाला था।

जब भगवान शिव शरभ रूप में प्रकट हुए, तब आकाश में बिजली चमकने लगी। उनके विशाल पंखों की गति से तूफान उठने लगे। दूसरी ओर भगवान नरसिंह भी प्रचंड क्रोध में गर्जना कर रहे थे। दोनों महाशक्तियों को आमने-सामने देखकर देवता भय और विस्मय से भर उठे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड की दो विराट शक्तियां एक-दूसरे के सामने खड़ी हों।

फिर आरंभ हुआ वह महायुद्ध, जिसकी कल्पना भी कठिन है। नरसिंह भगवान अपने प्रचंड वेग से आक्रमण कर रहे थे और शरभ रूपी शिव उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। उनकी गर्जनाओं से दिशाएं कांप रही थीं। पर्वत टूटने लगे, समुद्रों में ज्वार उठने लगा और पृथ्वी डोलने लगी। देवता, ऋषि और गंधर्व भयभीत होकर यह दृश्य देख रहे थे।

शिव पुराण के अनुसार, अंततः शरभ देव ने अपनी दिव्य शक्ति से भगवान नरसिंह को अपने विशाल पंजों में जकड़ लिया। वे उन्हें आकाश में ले गए। वहां भगवान नरसिंह ने महादेव के इस असीम और विराट रूप को देखा। धीरे-धीरे उनका क्रोध शांत होने लगा। उन्हें स्मरण हुआ कि वे स्वयं भगवान विष्णु हैं और यह सब लीला केवल धर्म और सृष्टि की रक्षा के लिए हो रही है।

तब भगवान नरसिंह ने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा—

"त्वं हि ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं हि सर्वं चराचरम्।
क्षमस्व सर्वदेवेश शरभाकृत ईश्वर।।"

अर्थात हे देवों के देव, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं और समस्त चराचर जगत में आप ही व्याप्त हैं। हे शरभ रूपधारी ईश्वर, मुझे क्षमा करें।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

ग्रीन टेक्नोलॉजी से गुजरात की सड़कों का कायापलट : विभिन्न जिलों की 20 सड़कों पर 1147 करोड़ रुपए की लागत से शुरु होगा काम

▸▸ पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक टेक्नोलॉजी से खर्च में कमी आएगी और सड़कों की उम्र भी लंबी होगी

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की क्रांति राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में और मजबूत हुई

गांधीनगर : गुजरात की सड़कों को आधुनिक बनाकर पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ विकास की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'स्पीड और स्केल' के विजन के अनुसार भारत के सड़क नेटवर्क के विकास की गति और उसके स्केल में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस विजन के अनुरूप राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में इस वर्ष के बजट में 1147 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के निर्माण में क्लाइमेट रेजिलिएंट और नई टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रावधान किया गया है।

इसके अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों में 20 सड़कों पर इस ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से काम शुरू होने जा रहा है। इस प्रक्रिया में मौजूदा सड़कों के पुराने मटीरियल का दोबारा इस्तेमाल करके सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे न केवल लागत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

राज्य की इन सड़कों पर ग्रीन टेक्नोलॉजी के अनुसार होगा काम

लणवा-मणुंद-संडेर-बालीसाणा रोड (पाटण), राधनपुर-मशाली-माधापुरा रोड (पाटण), भीड़िया सोमनाथ रोड (गिर सोमनाथ), संतरामपुर-झालोद रोड (महिसागर), दयादरा-नबीपुर-झनोर रोड (भरूच), इलाव-कोसंबा रोड (भरूच), मोरबी-नानी वावड़ी-बगथळा रोड (मोरबी), सुरेन्द्रनगर बाईपास रोड (सुरेन्द्रनगर), डिंडोली-करड़वा-इकलेरा रोड (सूरत), मांगलेज-नारेश्वर रोड (वडोदरा), कोसिंद्रा-भाखा रोड (छोटा उदेपुर), करजण-आमोद रोड (वडोदरा), इसरवाड़ा-उंदेल रोड (आणंद), वालम-कड़ी रोड (मेहसाणा), पेपळु-कापरा रोड (मेहसाणा), लुणी-गुंदाला-पत्री-टप्पर-बाबिया रोड (कच्छ), वड़ताल-जोळ-बाकरोल रोड (आणंद), तळाजा-गोपनाथ रोड (भावनगर), कालावड़-जामवंथली-फल्ला रोड (जामनगर) और कोठारा एप्रोच रोड (नर्मदा)।

इन सड़कों पर अलग-अलग सड़कों की जरूरत के मुताबिक सड़क चौड़ीकरण का काम, आरसीसी गटरलाइन, रीसर्फेसिंग, प्रोटेक्शन वर्क, फोरलेन, मिट्टी काम, रंबल स्ट्रिप, रोड फर्नीचर, साइड शोल्डर, व्हाइट टॉपिंग और ग्लास ग्रिड जैसे कार्य किए जाएंगे। इन सड़कों पर पर्यावरण के अनुकूल (क्लाइमेट रेजिलिएंट) और नई टेक्नोलॉजी के अनुसार काम किया जाएगा।

कैसे काम करती है ग्रीन टेक्नोलॉजी ?

ग्रीन टेक्नोलॉजी के काम में मौजूदा सड़क की पुरानी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें सड़क को उखाड़कर वहां चूना बिछाया जाता है। इस सामग्री को पीसकर (चूरा) करके उस पर रोलर का इस्तेमाल करके स्थिर किया जाता है। उसके बाद, उखाड़ी गई पुरानी सड़क की सामग्री को इस सतह पर बिछाकर ड्राई रोलिंग किया जाता है। उसके बाद, उस पर सीमेंट स्प्रेडर मशीन से सीमेंट बिछाकर उस पर केमिकल युक्त सीमेंट का स्टेबिलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद, पैड फुट रोलर, ग्रेडर और न्यूमेटिक टायर रोलर से उसका लेवलिंग ओर कॉम्पेक्शन किया जाता है। इस कार्य के सात दिनों के बाद नॉन वूवन मटीरियल-स्ट्रेस एब्जॉर्बिंग मेंब्रेन (एसएएमआई) बिछाकर उस पर डामर की परत लगाई जाती है। एसएएमआई एक प्रकार की हाई-टेक फाइबर शीट होती है, जिसे डामर बिछाने से पहले लगाया जाता है। यह दरारों को सतह तक पहुंचने से रोकती है, गाड़ियों के दबाव को अवशोषित करने में सहायक होती है और सड़क की उम्र बढ़ाती है।

ग्रीन टेक्नोलॉजी के लाभ

इस टेक्नोलॉजी में पुराने पेवमेंट की मिट्टी तथा मेटल जैसे मटीरियल का दोबारा उपयोग किया जाता है। इससे लागत कम होती है और सड़क का बेस मजबूत होता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सड़क को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए आवश्यक बेस को बेहतर बनाया जाता है, जिससे सड़क की मजबूती बढ़ती है और उस पर बार-बार मरम्मत कार्य करने की जरूरत भी कम पड़ती है। इस कार्य से कार्बन उत्सर्जन में कमी होने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों की बचत भी होती है।

बल्क ड्रग पार्क को जोड़ने वाली सड़क से औद्योगिक क्षेत्र को फायदा

भरूच में जंबूसर-टंकाली-देवला रोड पर 50 करोड़ रुपए के खर्च से ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रिकंस्ट्रक्शन की मंजूरी दी गई है। यह सड़क जंबूसर के निकट फार्मास्युटिकल बल्क ड्रग पार्क को जोड़ती है, साथ ही ओएनजीसी प्लांट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। इसके अलावा, यह सड़क देवला के पास नमक की खेती वाले क्षेत्र को भी संपर्क प्रदान करती है। यहां समुद्री तट के पास झिंगा पालन के तालाबों के लिए भी यह सड़क जंबूसर को वडोदरा जिले से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण राज्य हाईवे है। इस कारण यह वडोदरा से रेलवे, एयरपोर्ट और एक्सप्रेस-वे के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों के साथ सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस प्रकार, विभिन्न इकाइयों को सीधी कनेक्टिविटी मिलने से औद्योगिक दृष्टि से इस सड़क से बहुत लाभ होगा।

सड़क निर्माण की नई टेक्नोलॉजी और डिजाइनों की संक्षिप्त जानकारी

▸▸ वेस्ट प्लास्टिक रोड : प्लास्टिक को डामर के साथ मिक्स किया जाता है।

▸▸ व्हाइट टॉपिंग : पुराने डामर पर कंक्रीट बिछाया जाता है।

▸▸ जियोग्रिड और ग्लास ग्रिड : पॉलिमर की जाली (ग्रिड) और फाइबर ग्लास की ग्रिड बिछाकर मजबूत सड़क बनाई जाती है। जियोग्रिड नरम मिट्टी में ज्यादा मददगार होता है। सड़क के भार को वितरित करने में मदद करता है। ग्लास ग्रिड डामर की परत के बीच बिछाया जाता है, जो सड़क की उम्र बढ़ाता है और मजबूती देता है।

▸▸ कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट : बिना गर्म किए डामर मिक्स का उपयोग मानसून के समय में भी काम करने में उपयोगी साबित होता है।

▸▸ सीमेंट स्टेबिलाइजेशन : सड़क के बेस या मिट्टी में सीमेंट मिलाकर एक मजबूत परत बनाई जाती है।

▸▸ फ्लाई ऐश : थर्मल पावर प्लांट के कोयले के पाउडर का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है।

▸▸ इंटरलॉकिंग पेवर्स : छोटे कंक्रीट ब्लॉक्स को एक-दूसरे के साथ लॉक करके बिछाया जाता है।

▸▸ पैनल्ड कंक्रीट : एक साथ लंबी सड़क बनाने के बजाय कंक्रीट के अलग-अलग स्लैब बिछाकर सड़क का निर्माण।

▸▸ पर्पेच्युअल पेवमेंट : बहुत सारी परतों के साथ एक मजबूत सड़क का निर्माण। इस सड़क का मरम्मत खर्च कम रहता है और सड़क लंबे समय तक चलती है।

रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में आयोजित 19वें रोजगार मेले के तहत 51 हजार से अधिक युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र

अहमदाबाद में आयोजित रोजगार मेले में 115 नव अभ्यर्थियों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मई, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले के अंतर्गत देशभर में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने नव नियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अब पारदर्शिता आई है तथा सभी चयन मेरिट के आधार पर किए जा रहे हैं। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज एवं सुगम हुई है।

19वां रोजगार मेला देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न 19 विभागों से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की गईं। रोजगार मेला अभियान प्रारंभ होने के बाद से अब तक देशभर में आयोजित विभिन्न रोजगार मेलों के

माध्यम से लगभग 12.50 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

अहमदाबाद में आयोजित रोजगार मेले में मुख्य अतिथि, माननीया युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री, भारत सरकार, श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने अपने संबोधन में कहा कि आज गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व 18 रोजगार मेलों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से लगभग 12 लाख युवाओं को केंद्र सरकार द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। आज भी इस रोजगार मेले के माध्यम से लगभग 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और विकास मॉडल के लिए पूरे देश एवं विश्व में जाना जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जी की सोच हमेशा से यह रही है कि देश का प्रत्येक युवा आगे बढ़े, हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करे और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। युवा ही देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। युवाओं को सही दिशा प्रदान करने का कार्य केंद्र सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर किया जा रहा है। यह रोजगार मेला केवल नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवाओं में राष्ट्र सेवा की भावना जागृत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

इस अवसर पर मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने बताया कि पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कुल 115 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इनमें 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी रेलवे विभाग से संबंधित थे तथा 29 महिला अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नियुक्त अभ्यर्थियों में रेलवे विभाग के 66, वित्तीय सेवा विभाग के 36, डाक विभाग के 09, आयकर विभाग के 02 तथा ईपीएफओ एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक-एक अभ्यर्थी शामिल हैं।

अहमदाबाद में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में माननीया युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री, भारत सरकार श्रीमती रक्षा निखिल खडसे, माननीय श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार तथा ग्रामीण विकास मंत्री, गुजरात सरकार श्री कुंवरजीभाई बावलिया, माननीया शहरी विकास एवं शहरी आवास राज्यमंत्री, गुजरात सरकार श्रीमती दर्शना बेन वाघेला, माननीय सांसद अहमदाबाद पश्चिम श्री दिनेशभाई मकवाणा, माननीय सांसद (राज्यसभा) श्री नरहरि अमीन, अहमदाबाद क्षेत्र के माननीय विधायकगण एवं मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

गिफ्ट सिटी बना भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत का नया प्रतीक

गांधीनगर। Nirmala Sitharaman ने शुक्रवार को कहा कि भारत आज दुनिया के सामने पैमाना, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और तीव्र आर्थिक वृद्धि के अवसरों का एक अनूठा संगम प्रस्तुत कर रहा है और गुजरात में विकसित हो रहा GIFT City इस नई आर्थिक सोच का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी केवल एक वित्तीय केंद्र नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास, वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और आधुनिक वित्तीय संरचना का प्रतीक बन चुका है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी और वहां विकसित हो रहे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा परिवेश की समीक्षा के लिए आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी आईएफएससी के विस्तार, वैश्विक निवेश, बैंकिंग, बीमा, फिनटेक, कोष प्रबंधन, विमान और जहाज पट्टे की व्यवस्था, बुनियादी ढांचा विकास तथा वैश्विक कारोबारी कनेक्टिविटी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद अपने संबोधन में सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट सिटी में अब तक जो प्रगति हुई है, वह अत्यंत उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, नियामक संस्थाओं और उद्योग जगत के बीच लगातार समन्वय के कारण यह परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है और गिफ्ट सिटी इसी परिवर्तन का एक प्रमुख केंद्र बनकर सामने आया है।

उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी भारत को वैश्विक वित्तीय बाजारों से जोड़ने में रणनीतिक भूमिका निभा रहा है। यहां तैयार किया जा रहा आधुनिक वित्तीय तंत्र अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को सुगम बना रहा है और विदेशी निवेशकों के लिए भारत को अधिक आकर्षक बना रहा है। उनके अनुसार भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल उपभोक्ता बाजार, तकनीकी क्षमता और युवा प्रतिभा के साथ जब गिफ्ट सिटी जैसी विश्वस्तरीय वित्तीय संरचना जुड़ती है, तब देश वैश्विक निवेश और वित्तीय गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि गिफ्ट सिटी अब केवल एक परियोजना नहीं रह गई है, बल्कि यह भारत की आर्थिक सोच और वैश्विक दृष्टि का प्रतिनिधित्व कर रही है। उन्होंने कहा कि यह शहर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भारत की नई पहचान बना रहा है। दुनिया के कई बड़े निवेशक और वित्तीय संस्थान अब भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय नवाचार और निवेश के केंद्र के रूप में देखने लगे हैं।

बैठक में प्रधानमंत्री Narendra Modi के प्रमुख सचिव P. K. Mishra भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण गिफ्ट-आईएफएससी को एक ऐसे विश्वस्तरीय वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करना है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, आधुनिक सुविधाओं और कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि गिफ्ट सिटी को बैंकिंग, बीमा और फिनटेक क्षेत्र में और अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए। इसके अलावा वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी की स्थापना, विमान और जहाज पट्टे से जुड़ी गतिविधियों का विस्तार, कारोबारी सुगमता बढ़ाने तथा वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने की रणनीति पर भी विचार किया गया।

बाल विवाह पर हाईकोर्ट का बड़ा प्रहार, पुलिस की चुप्पी को बताया सामाजिक अपराध

प्रयागराज। Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रहे बाल विवाह के मामलों पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को बढ़ावा देने में पुलिस की निष्क्रियता भी एक बड़ी वजह बन रही है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कानून में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद पुलिस न तो नाबालिग लड़कियों से विवाह करने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है और न ही ऐसे विवाह कराने वाले लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत ने इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों और संविधान की भावना के खिलाफ गंभीर विफलता माना है।

जस्टिस Rajeev Gupta और जस्टिस Ajay Kumar-II की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत के समक्ष अब तक ऐसा कोई मामला नहीं आया, जिसमें पुलिस ने 'बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006' की धारा 10 और 11 के तहत प्रभावी कार्रवाई की हो। अदालत ने कहा कि इन धाराओं में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि बाल विवाह कराने वाले, उसमें सहयोग देने वाले और नाबालिग से विवाह करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि ज्यादातर मामलों में पुलिस केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित रहती है। इससे समाज में यह संदेश जाता है कि बाल विवाह जैसे अपराधों को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है।

खंडपीठ ने कहा कि बाल विवाह केवल एक पारिवारिक या सामाजिक मामला नहीं, बल्कि बच्चों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर अपराध है। अदालत ने टिप्पणी की कि नाबालिग बच्चियों को समय से पहले विवाह के बंधन में बांधना उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास और स्वतंत्र जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इसके बावजूद यदि पुलिस कानून लागू करने में असफल रहती है, तो यह राज्य की जिम्मेदारी पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

अदालत ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य के सभी पुलिस कमिश्नरों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को तत्काल स्पष्ट दिशा-निर्देश भेजे जाएं। कोर्ट ने कहा कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना शिकायत, जांच या स्वतः संज्ञान के माध्यम से मिले, तो पुलिस बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज करे और संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। अदालत ने यह भी कहा कि केवल मामला दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाना और दोषियों को न्यायालय तक पहुंचाना भी पुलिस की जिम्मेदारी होगी।

दरअसल यह मामला 14 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और बाल विवाह से जुड़ी एफआईआर को रद्द कराने की मांग से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया कि लड़की ने अपनी इच्छा से मार्च 2026 में मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह किया था और इसलिए एफआईआर निरस्त की जानी चाहिए। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि लड़की नाबालिग है और उसे बहला-फुसलाकर विवाह के लिए मजबूर किया गया। सरकारी पक्ष ने यह भी कहा कि यह मामला स्पष्ट रूप से 'बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006' के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एफआईआर रद्द करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है और जांच एजेंसी ने पर्याप्त सामग्री भी जुटाई है। अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि मामले की जांच बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाए और आगे की कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं आधार कार्ड या हलफनामे के आधार पर नाबालिगों के विवाह करा रही हैं, जबकि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को उम्र का अंतिम और वैध प्रमाण नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि केवल आधार कार्ड के सहारे विवाह संपन्न कराना कानून की भावना के विपरीत है। अदालत ने कहा कि आयु सत्यापन के लिए वैधानिक दस्तावेजों का पालन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा बाल विवाह रोकने के प्रयास कमजोर पड़ जाएंगे।

हाईकोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब देश के कई हिस्सों में तमाम सरकारी अभियानों और कानूनों के बावजूद बाल विवाह की घटनाएं पूरी तरह थम नहीं पाई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ कई शहरी इलाकों में भी सामाजिक दबाव, गरीबी, अशिक्षा और परंपरागत सोच के कारण कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाल विवाह का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव लड़कियों की शिक्षा पर पड़ता है। कम उम्र में विवाह होने से अधिकांश बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती हैं और उनका भविष्य सीमित होकर रह जाता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि कम उम्र में विवाह और गर्भधारण से लड़कियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। मातृ मृत्यु दर, कुपोषण और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कम उम्र में वैवाहिक जिम्मेदारियों का बोझ बच्चियों के मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं सामाजिक और मानवीय पहलुओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि बाल विवाह का उन्मूलन केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवैधानिक और सामाजिक जिम्मेदारी है।

कानूनी जानकारों का कहना है कि 'बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006' में पहले से ही सख्त प्रावधान मौजूद हैं। कानून के तहत बाल विवाह कराने वाले, उसमें सहयोग देने वाले और नाबालिग से विवाह करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद कई मामलों में पुलिस या तो कार्रवाई नहीं करती या मामले को पारिवारिक विवाद मानकर गंभीरता से नहीं लेती। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी को इसी रवैये के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।

अदालत के इस आदेश के बाद अब राज्य पुलिस मुख्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। यदि डीजीपी स्तर से सख्त निर्देश जारी होते हैं और जिलों में उसका प्रभावी पालन कराया जाता है, तो बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आ सकती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि केवल कानून बना देने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि उसके सख्त और ईमानदार क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से यही स्पष्ट किया है कि बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों में प्रशासनिक लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह टिप्पणी अब केवल एक मामले तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे पूरे प्रदेश के लिए एक चेतावनी और दिशा-निर्देश के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि यदि कानून मौजूद है तो उसका पालन भी सुनिश्चित होना चाहिए। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए केवल जागरूकता अभियान ही नहीं, बल्कि पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। अब देखना यह होगा कि अदालत की इस सख्ती के बाद प्रदेश में बाल विवाह रोकने की दिशा में कितना प्रभावी बदलाव दिखाई देता है।

कच्छ में रेलवे विकास को मिलेगी नई गति : पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे का कच्छ दौरा

मुंद्रा पोर्ट से लेकर भुज-नलिया रेलखंड तक विकास परियोजनाओं एवं रेलवे अधोसंरचना का किया निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे ने 22 एवं 23 मई, 2026 को कच्छ क्षेत्र का व्यापक दौरा कर रेलवे परियोजनाओं, अधोसंरचना विकास कार्यों तथा भावी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गांधीधाम–मुंद्रा पोर्ट सेक्शन का निरीक्षण यान से विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया तथा भुज-नलिया-वायोर रेलखंड का गहन निरीक्षण भी किया।

22 मई, 2026 को गांधीधाम से मुंद्रा पोर्ट के बीच किए गए निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने गांधीधाम क्षेत्र में चल रहे विभिन्न रेलवे प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे अहमदाबाद के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) प्रदीप गुप्ता, अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश सहित निर्माण एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुंद्रा पोर्ट दौरे के दौरान महाप्रबंधक ने APSEZ के CEO सुजल शाह के साथ ट्रेन कनेक्टिविटी एवं ट्रेन संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पोर्ट के मॉडल रूम में APSEZ के COO मनोज कतर द्वारा मुंद्रा पोर्ट के विकास एवं पिछले 13 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। इस दौरान रो-रो टर्मिनल का अवलोकन भी बोट के माध्यम से किया गया। महाप्रबंधक ने Adani Ports and Special

Economic Zone के अधिकारियों के साथ बैठक कर रेलवे एवं पोर्ट के बीच समन्वय तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

भुज-दिल्ली नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के शुभारंभ अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाप्रबंधक श्री पाण्डेय ने कहा कि कच्छ में रेलवे के आधारभूत ढांचे के विकास एवं नई रेलवे सुविधाओं के लिए आने वाले वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि भुज-आदिपुर के बीच डबल रेलवे ट्रैक के लिए सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे भविष्य में परिवहन अधिक तेज एवं सुगम होगा।

महाप्रबंधक श्री पाण्डेय एवं मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने जानकारी दी कि भुज रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। स्टेशन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है तथा कार्य पूर्ण होने के बाद इसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा भचाऊ एवं गांधीधाम रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि भुज स्टेशन के नवनिर्माण के बाद रेलवे सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा तथा कच्छ में जहां व्यापार एवं यातायात की आवश्यकता होगी, वहां नई रेलवे परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। भुज-दिल्ली रेल सेवा के शुभारंभ के बाद गांधीधाम में उद्योगपतियों एवं व्यापारिक संगठनों के साथ आयोजित बैठक में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्योग जगत की समस्याएं एवं सुझाव सुने। गांधीधाम चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने कहा कि रेलवे की कार्यशैली एवं सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों एवं माल परिवहन के लिए कई विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद रेलवे के माध्यम से परिवहन बढ़ना देशहित में है। कच्छ के व्यापार एवं उद्योग जगत से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु रेलवे द्वारा जोनल एवं रेलवे बोर्ड स्तर पर सक्रिय प्रयास किए जाएंगे।

अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने कहा कि रेलवे का प्रयास है कि उद्योग जगत एवं यात्रियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि रेलवे उद्योग जगत की समस्याओं को गंभीरता से समझती है तथा नीति से जुड़े विषयों के समाधान हेतु आवश्यक परिवर्तन करने का प्रयास भी किया जाएगा।

बैठक के दौरान चेंबर ऑफ कच्छ के प्रतिनिधियों ने मांडवी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने, पूर्व स्वीकृत रेलवे कोच फैक्ट्री को प्रारंभ करने, नमो भारत ट्रेन को डबल रैक के साथ चलाने तथा भुज-हरिद्वार, भुज-वाराणसी, भुज-भागलपुर एवं भुज-अमृतसर जैसी लंबित ट्रेन मांगों को प्राथमिकता देने सहित विभिन्न विषय उठाए। साथ ही डीपी वर्ल्ड द्वारा जून 2027 तक प्रस्तावित मेगा कंटेनर टर्मिनल एवं बढ़ते माल परिवहन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त रेलवे सुविधाओं के विकास का अनुरोध भी किया गया।

23 मई, 2026 को महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने भुज-नलिया-वायोर रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भुज-नलिया सेक्शन का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। साथ ही नलिया स्टेशन एवं नलिया-वायोर नई रेलवे लाइन परियोजना के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साइंस सिटी में कॉकलियर इंप्लांट प्रोग्राम के लाभार्थी बच्चों के साथ किया संवाद, मुख्यमंत्री का वात्सल्यभाव देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे

▸▸ आवाज मिलने के बाद मुख्यमंत्री के साथ बात करने का अवसर मिलने पर बच्चे हुए खुश
▸▸ मुख्यमंत्री बने अभिभावक : कॉकलियर इंप्लांट सहायता प्राप्त करने वाले 20 बच्चों के साथ देखी एक्वाटिक गैलरी
▸▸ राज्य सरकार 3.5 लाख रुपए मूल्य का स्पीच प्रोसेसर बिल्कुल मुफ्त देती है, अब मासूमों के जीवन में गूंजेगी आशा भरी आवाज
▸▸ बच्चों के अभिभावकों ने राज्य सरकार के कॉकलियर इंप्लांट एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम को जरूरतमंद बच्चों के लिए वरदान बताया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद की साइंस सिटी में राज्य सरकार के कॉकलियर इंप्लांट एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम का लाभ उठाने वाले 20 बच्चों के साथ सहज संवाद किया।
वात्सल्य से ओतप्रोत वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक आत्मीय बुजुर्ग और अभिभावक के रूप में बच्चों के साथ अपनापन दिखाया। इससे बच्चों के चेहरे मुस्कान से खिल उठे। आवाज मिलने के बाद मुख्यमंत्री के साथ बात करने का अवसर मिलने पर बच्चे खुशी से चहक उठे।
संवाद के दौरान बच्चों के अभिभावकों ने महंगे इंप्लांट बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार तथा इस योजना के सुनियोजित कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) टीम, सरकार के स्वास्थ्य विभाग तथा सोला सिविल सहित अन्य हॉस्पिटलों के प्रति आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बच्चों के साथ साइंस सिटी की प्रसिद्ध 'एक्वाटिक गैलरी' का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने रंगबिरंगी मछलियों और जलचर सृष्टि को हैरानी से देख रहे बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उनके साथ बाल सहज बातें करके वात्सल्यभाव अभिव्यक्त किया। मुख्यमंत्री की इस संवेदनशीलता को देखकर वहां मौजूद बच्चों के माता-पिता और अधिकारियों की आंखें भी हर्ष से भीग उठीं।
मुख्यमंत्री ने सभी अभिभावकों और उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि यदि अभी भी समाज में ऐसे जरूरतमंद बच्चे हों, तो ऐसे बच्चों और उनके परिवारों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए मार्गदर्शन दें।
इस अवसर पर खाद्य एवं औषधि आयुक्त डॉ. रतनकंवर गढ़वी चारण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती विशेष रूप से मौजूद रहे।
बच्चों के अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं :
"विवाह के 13 वर्षों के बाद जन्मे बच्चे के उपचार की आर्थिक चिंता सरकार ने दूर की" – सोनलबेन भावसार
"विवाह के 13 वर्षों के बाद भगवान ने मुझे संतान सुख दिया, लेकिन जब पता चला कि बच्चा बोल-सुन नहीं सकता, तब मैं टूट गई थी। आंगनबाड़ी के दौरे के दौरान आरबीएसके की टीम ने मेरे बच्चे की जांच की और असारवा सिविल हॉस्पिटल में मुफ्त ऑपरेशन कराया। इस सरकारी योजना ने हमारी बहुत बड़ी आर्थिक और मानसिक मदद की है। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने एक अभिभावक बनकर हमारे बच्चों के साथ बातचीत की और बच्चों के साथ घूमे, वह देखकर हमें भरोसा हो गया है कि राज्य के एक बड़े-बुजुर्ग के रूप में मुख्यमंत्री सदैव हमारे साथ खड़े हैं।"
"कॉकलियर इंप्लांट एक बहुत महंगी सर्जरी होने के कारण साधारण परिवारों के लिए यह असंभव होती है, लेकिन यह उम्दा स्कीम लाकर सरकार ने हजारों बच्चों को नवजीवन दिया" – ऋतुल पंचाल
"तीन वर्ष पहले जब यह मालूम हुआ कि हमारी बेटी रूही दोनों कानों से सुन नहीं सकती, तो हम चिंता डूब गए। महंगे उपचार के कारण अनेक हॉस्पिटलों में जाने के बाद हमें सोला सिविल हॉस्पिटल में राज्य सरकार की निःशुल्क कॉकलियर इंप्लांट ऑपरेशन की स्कीम के बारे में पता चला। सोला सिविल के ईएनटी और ऑडियोलॉजी विभाग के उत्कृष्ट मार्गदर्शन के अंतर्गत बेटी सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई और वहां एक वर्ष तक चली स्पीच थेरेपी के कारण आज रूही इतनी अच्छी बातें करती है कि मानों उसे कोई समस्या ही नहीं थी। हमने उसकी स्कूलिंग और सामाजिक मेलमिलाप भी बढ़ा दिया है, ताकि वह बिना किसी हीन भावना के सभी के बीच सहजता से रह सके।"
"कॉकलियर इंप्लांट अत्यंत महंगी सर्जरी होने के कारण साधारण परिवारों के लिए इसका खर्च उठाना असंभव होता है, लेकिन यह उम्दा स्कीम लाकर सरकार ने हजारों बच्चों को नवजीवन दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से आकर इन बच्चों से भेंट की और एक अभिभावक के रूप में उन पर जो स्नेह बरसाया, वह सचमुच ही प्रेरणादायी है। मैं बच्चों को प्रोत्साहित करने और संपूर्ण समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूं।"
"सुनने की समस्या (बहरेपन) से पीड़ित हरेक बच्चे के अभिभावकों को इस स्कीम का लाभ उठाना चाहिए : श्री जैनम शाह"
"जब मेरी बेटी हाश्वी डेढ़ वर्ष की हुई, तब उसके कान में समस्या के बारे में पता चलने पर हमें गहरा धक्का लगा। सोला सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अद्भुत सहयोग से हमने उसका कॉकलियर इंप्लांट ऑपरेशन करवाया। वहां दी गई स्पीच थेरेपी के कारण केवल हमारी बेटी आठ महीने में ही बहुत ही अच्छे से बोलने लगी। एक कान के उपचार के सफल परिणाम से प्रेरित होकर हमने सोला सिविल में ही उसके दूसरे कान का ऑपरेशन भी करवाया। आज ऑपरेशन के डेढ़ वर्ष के बाद साढ़े तीन वर्ष की मेरी बेटी सामान्य बच्चों की तरह एक सामान्य स्कूल में पढ़ती है और एक सामान्य जीवन जी रही है।" मैं उन सभी पैरेंट्स से कहना चाहूंगी, जो हिचकिचा रहे हैं, कि बिना किसी चिंता के कॉकलियर इंप्लांट स्कीम का लाभ उठाएं, यह सरकारी योजना ऐसे बच्चों के लिए एक वरदान की तरह है।

क्या है कॉकलियर इंप्लांट एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम?

▸▸ गुजरात सरकार द्वारा 6 वर्ष तक की उम्र के संपूर्ण बहरेपन से पीड़ित मासूम बच्चों का बिल्कुल मुफ्त कॉकलियर इंप्लांट करवाने का प्रोग्राम
▸▸ यह उम्दा सेवा यज्ञ वर्ष 2014 से 'शाला आरोग्य कार्यक्रम' के अंतर्गत शुरू किया गया है, जिसके तहत अब तक 3500 से अधिक बच्चों का कॉकलियर इंप्लांट हो चुका है।
▸▸ राज्य के बच्चों को स्थानीय स्तर पर ही यह अत्याधुनिक उपचार सुलभ कराने के लिए गुजरात के 10 प्रतिष्ठित हॉस्पिटलों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
▸▸ वर्ष 2024 में राज्य सरकार ने एक संवेदनशील निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत जिन बच्चों के एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर खराब हो गए हैं, टूट गए हैं या गुम हो गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्पीच प्रोसेसर को एक बार बिल्कुल मुफ्त रिप्लेस कर दिया जाएगा।
▸▸ अब तक 401 बच्चों के एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर रिप्लेस किए जा चुके हैं।
▸▸ बाजार में एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर की अनुमानित कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए होती है, जिसे वहन करना मध्यम या गरीब वर्ग के परिवारों के लिए संभव नहीं होता।
▸▸ इस पूरे प्रोग्राम को और मजबूत और परिणाम-उन्मुख बनाने के लिए विशेषज्ञ ईएनटी सर्जन, ऑडियोलॉजिस्ट (जो ऑपरेशन से पहले जांच और ऑपरेशन के बाद मैपिंग का काम करते हैं) तथा स्पीच लैंग्वेज थेरापिस्ट (जो बच्चों को सुनना और बोलना सिखाते हैं) दिन-रात सेवारत रहते हैं

कॉकलियर इंप्लांट डिवाइस के बारे में

▸▸ कॉकलियर इंप्लांट ऑपरेशन के मुख्य दो हिस्से होते हैं - इंटरनल इंप्लांट और एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर
▸▸ प्रोसेसर बाहर की आवाज को अंदर के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से (जो कान में प्रत्यारोपित किया गया हो) तक पहुंचाता है, जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के आंतरिक कान (कॉक्लिया) से लेकर दिमाग के केंद्र तक पहुंचाया जाता है।
▸▸ चूंकि एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, इसलिए समय के साथ रोजाना के घिसाव, नमी, बैटरी की कम होती कार्यक्षमता, केबल को होने वाले नुकसान या तार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण खराब होने की संभावना रहती है।
▸▸ स्पीच प्रोसेसर का जीवनकाल लगभग 10 वर्ष होता है, समय के साथ इसे अपग्रेड करना या बदलना पड़ता है।

प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत वडोदरा में रोजगार मेला का आयोजन, 80 नवनियुक्त युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन पहल के अंतर्गत देश भर में आयोजित 19वें रोजगार मेले का उद्घघाटन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को सम्बोधित भी किया। यह रोजगार मेला देश भर के 47 विभिन्न स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया जिसके तहत 51000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वडोदरा में प्रतापनगर डिविजनल रेलवे ऑडिटोरियम में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे एवं माननीय विधायक श्री केयुरभाई नारायणदास रोकडिया की गरिमामय उपस्थिति रही। जिसके अंतर्गत रेलवे, बैंक एवं डाक विभागों के कुल 80 पदों पर युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गये।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए नियुक्त लोगों को संबोधित करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी सबसे पहले और सबसे अहम रूप से लोगों के जीवन को आसान बनाने का एक माध्यम है। उन्होंने हर युवा 'कर्मयोगी' से आह्वान किया कि वे अपनी पद को एक जीवंत जिम्मेदारी के रूप में देखें, भारत के लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को समझें और उसी के अनुसार अपने काम को ढालें। माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपना पूरा विश्वास दोहराते हुए कहा कि ये नए नियुक्त कर्मचारी भारत की विकास यात्रा को एक नई गति प्रदान करेंगे, और उनके काम तथा निर्णयों के माध्यम से 'विकसित भारत' का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को उनके भविष्य के सफर के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री ने नव नियुक्त युवाओं को ईमानदारी, समर्पण एवं पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं से अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी लगन एवं सत्यनिष्ठा से करने का आह्वान किया।
वडोदरा में आयोजित समारोह में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने उपस्थित सभी जनों को संबोधित किया। इस दौरान माननीय विधायक श्री केयुरभाई नारायणदास रोकडिया तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में वडोदरा मंडल के शाखा अधिकारी एवं रेलकर्मी भी मौजूद रहे।
इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया गया है। अब तक बारह लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि यह केवल नौकरी नहीं, बल्कि देश सेवा का अवसर है। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप सभी युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय भी विकसित भारत के निर्माण में निरंतर योगदान दे रहा है तथा "हर घर जल" अभियान के अंतर्गत करोड़ों घरों तक पेयजल पहुंचाने का कार्य किया गया है।
कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा के जोनल हेड श्री विनय कुमार राठी तथा डाक विभाग के उप अधीक्षक श्री टी. एन. मलिक भी माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने भी युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किये।
रोजगार मेला भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से देशभर के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे है।
कार्यक्रम के अंत में वडोदरा मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अविनाश कुमार द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। 19वें रोजगार मेले में पश्चिम रेलवे के अंतर्गत वडोदरा मंडल के अलावा अहमदाबाद एवं राजकोट मंडल में भी नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
कार्यक्रम के सफल आयोजन पर वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अविनाश कुमार तथा इस महत्वपूर्ण आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।

जनगणना-2027 में डिजिटल भागीदारी की अपील, राजकोट पुलिस कमिश्नर ने पूरी की ऑनलाइन स्व-गणना

राजकोट। देशभर में शुरू हुई Census of India 2027 की तैयारियों के बीच गुजरात में भी ऑनलाइन 'स्व-गणना' अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में राजकोट शहर के पुलिस कमिश्नर Brajesh Kumar Jha ने स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी स्व-गणना प्रक्रिया पूरी कर नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से शुरू की गई यह व्यवस्था लोगों के लिए बेहद आसान, तेज और सुविधाजनक है तथा इससे जनगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
पुलिस कमिश्नर ब्रजेश कुमार झा ने कहा कि जनगणना केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की विकास योजनाओं और नीतियों की आधारशिला होती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे थोड़ा समय निकालकर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सहयोग करें और ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा का लाभ उठाएं। उनके अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक अब अपने घर बैठे मोबाइल फोन या कंप्यूटर से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं, जिससे समय की बचत के साथ प्रक्रिया अधिक सरल हो गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है। जनगणना-2027 की ऑनलाइन स्व-गणना प्रक्रिया इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे लोगों को सरकारी कर्मचारियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का उपयोग करेंगे और जनगणना को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।
इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने साइबर सुरक्षा को लेकर भी लोगों को विशेष रूप से सतर्क किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति फोन कॉल या किसी अन्य माध्यम से स्व-गणना के नाम पर ओटीपी मांगता है, तो किसी भी परिस्थिति में ओटीपी साझा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी अक्सर सरकारी प्रक्रियाओं के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं और ऐसी स्थिति में सावधानी बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या संदेश से सतर्क रहें।
गौरतलब है कि भारत सरकार के Ministry of Home Affairs द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत ऑनलाइन घरों की गणना और पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in उपलब्ध कराया गया है, जहां नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह स्व-गणना सुविधा फिलहाल 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करें, ताकि आगामी घर-घर जनगणना प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सके।
अधिकारियों के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक नागरिक को 11 अंकों का एक यूनिक कोड प्राप्त होगा। यह कोड आगामी 1 जून से शुरू होने वाली घर-घर जनगणना के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब गणना अधिकारी सत्यापन के लिए घर पहुंचेगा, तब नागरिकों को यही यूनिक कोड दिखाना होगा। इससे पहले से दर्ज जानकारी का मिलान और सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल स्व-गणना की शुरुआत भारत की जनगणना प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। अब तक जनगणना पूरी तरह अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर की जाती रही है, लेकिन इस बार तकनीक के उपयोग से नागरिकों को स्वयं भागीदारी का अवसर दिया गया है। इससे न केवल प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आंकड़ों को तेजी से संकलित और विश्लेषित करने में भी मदद मिलेगी।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जनगणना के आंकड़े देश की आर्थिक, सामाजिक और विकास योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, परिवहन और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में जनगणना के आंकड़ों का व्यापक उपयोग किया जाता है।

भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत: भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर निःशुल्क छाछ का वितरण

भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान के मद्देनज़र यात्रियों को राहत प्रदान करने हेतु पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा जनहित में विशेष पहल की गई है। इस क्रम में दिनांक 23 मई, 2026 (शनिवार) को भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए निःशुल्क छाछ वितरण की व्यवस्था की गई।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर मुख्य प्रवेश द्वार और प्लेटफॉर्म क्षेत्र में यात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों को छाछ उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें भीषण गर्मी से काफी राहत मिली।

निःशुल्क छाछ वितरण सेवा में भावनगर की सामाजिक संस्था "फैंटास्टिक-14" का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। स्टेशन पर इन व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने में भावनगर मंडल के वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों, टिकट चेकिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा वितरण कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न किया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा ने कहा, "भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावनगर मंडल द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इस प्रकार की जनहितकारी गतिविधियाँ निरंतर आयोजित की जा रही हैं। यह पहल हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं यात्री-हित के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है।"
भावनगर मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं मानवीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती रहें। भीषण गर्मी के दौरान इस प्रकार की राहत सेवाएँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

दुनिया का सबसे महंगा दूध! चूहे के दूध की कीमत लाखों में है और इसका इस्तेमाल चिकित्सा अनुसंधान में किया जाता है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले दूध की कीमत आमतौर पर 60 से 100 रुपये प्रति लीटर होती है। लेकिन क्या आपने कभी लाखों रुपये में बिकने वाले दूध के बारे में सुना है? चूहे का दूध दुनिया का सबसे महंगा दूध माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20 से 23 लाख रुपये प्रति लीटर तक हो सकती है।
चूहे का दूध इतना महंगा होने का एक कारण यह है कि एक लीटर दूध इकट्ठा करने के लिए हजारों चूहों की जरूरत पड़ती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, लगभग 40,000 चूहों से दूध इकट्ठा करने के बाद भी मुश्किल से एक लीटर दूध ही प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया न केवल श्रमसाध्य है, बल्कि तकनीकी रूप से भी बेहद जटिल है। इस दूध का उपयोग न केवल सामान्य भोजन और पेय पदार्थों के लिए किया जाता है, बल्कि चिकित्सा अनुसंधान में भी होता है। चूहों के दूध की मांग विशेष रूप से दवाओं और टीकों के परीक्षण के लिए है। वैज्ञानिकों के अनुसार, चूहे के दूध में मौजूद प्रोटीन और अन्य तत्वों में मानव डीएनए से कुछ समानताएं होने के कारण यह अनुसंधान में बहुत उपयोगी साबित होता है। देखिए, यह एक दिलचस्प कहानी है।

सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ के नए पदाधिकारियों के लिए एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत..
सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों - अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव, उपाध्यक्ष किरीटभाई वाघेला, महासचिव मोहम्मद इकबाल शेख और मंत्री हरीशभाई राठौड़ - का अभिनंदन समारोह 23 मई, 2026 को गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष के आवास पर कर्मचारी संघ के नेताओं, संघ नेता जयंतीभाई वाघेला द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत सोलंकी ने स्वागत भाषण देकर किया। समारोह में उपस्थित संघ नेताओं और पदाधिकारियों में सर्वश्री मोहनभाई राठौड़, अर्जुन वीरस, कनैय्याभाई सोलंकी, रणजीत पटेल, सुभाष सोलंकी, सुरेश सोलंकी, अतुल सोलंकी, महेंद्र जाधव, नीलांग देसाई, जयसिंहभाई गोहिल, प्रवीण सोलंकी, नितिन सोलंकी आदि शामिल थे। उन्होंने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और उन्हें पुष्प अर्पित कर सम्मानित किया। अध्यक्ष की कुर्सी से जयंतीभाई वाघेला ने सभी यूनियनों से एकजुट होकर महामंडल द्वारा आयोजित आंदोलन कार्यक्रमों में शामिल होने का आह्वान किया। महामंडल अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव ने सभी नेताओं और कर्मचारियों से आज की स्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का अनुरोध किया। महासचिव मोहम्मद इकबाल शेख ने यूनियनों की 70 वर्षों की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में गुजरात प्रदेश महानगरपालिका कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष कनैयालाल सोलंकी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

मुफ्त बिजली का सपना टूटा, महंगे बिलों से घिरी हिमाचल की जनता

शिमला। Bharatiya Janata Party ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते बिजली बिलों और घटती बिजली सब्सिडी को लेकर कांग्रेस सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक Karn Nanda ने शनिवार को आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार अब उसी जनता पर महंगी बिजली का बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले लोगों को राहत देने की बात कही थी, लेकिन अब आम उपभोक्ताओं को लगातार बढ़ते बिजली बिलों का सामना करना पड़ रहा है।
भाजपा ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री Jai Ram Thakur के कार्यकाल में राज्य सरकार 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही थी, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिलता था। लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार में बिजली दरों में लगातार वृद्धि की गई है। भाजपा के अनुसार अब घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 5.44 रुपये तक भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि 126 से 300 यूनिट तक की खपत पर यह दर 5.89 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच चुकी है। पार्टी का कहना है कि बढ़ी हुई दरों के कारण आम परिवारों के बिजली बिल हजारों रुपये तक पहुंचने लगे हैं और न्यूनतम मासिक बिल भी लगभग 750 रुपये तक हो गया है। कर्ण नंदा ने कहा कि कांग्रेस सरकार चुनावी वादों से पीछे हट चुकी है और जनता को राहत देने के बजाय आर्थिक दबाव बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा केवल वोट हासिल करने के लिए किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वास्तविक स्थिति पूरी तरह बदल गई। भाजपा नेता ने कहा कि प्रदेश में महंगाई पहले ही लोगों की कमर तोड़ रही है और अब बिजली बिलों में बढ़ोतरी ने मध्यम वर्ग, कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों और गरीब परिवारों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

भाजपा ने राज्य सरकार पर केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए। कर्ण नंदा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की 'प्राइड ऑफ हिल्स' योजना के तहत जो राशि विकास कार्यों के लिए दी गई थी, उसका उपयोग राज्य सरकार अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करने में कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार केवल राजनीतिक घोषणाओं को बचाने में लगी हुई है।
भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने उद्योगों और व्यवसायिक संस्थानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। कर्ण नंदा के मुताबिक सितंबर 2023 में बड़े उद्योगों पर बिजली ड्यूटी 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई थी, जिसे जनवरी 2024 में बढ़ाकर 37.5 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया। इसके अलावा वर्ष 2026 में व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर एक रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त बिजली सेस लगाए जाने का भी आरोप लगाया गया। भाजपा का कहना है कि इन फैसलों का सीधा असर उद्योगों की लागत पर पड़ा है, जिससे प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। पार्टी के अनुसार होटल, मॉल, निजी अस्पताल, पेट्रोल पंप और कोचिंग सेंटर जैसे संस्थानों को अब पहले की तुलना में कहीं अधिक बिजली खर्च उठाना पड़ रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बढ़ती बिजली दरों का असर केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका बोझ अंततः आम लोगों पर ही पड़ेगा, क्योंकि व्यवसायिक संस्थान अपनी लागत बढ़ने का असर सेवाओं और उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में उपभोक्ताओं पर डालेंगे।
भाजपा ने दो से अधिक बिजली मीटर वाले घरों की सब्सिडी बंद किए जाने के फैसले को भी गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी बताया। पार्टी का आरोप है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर किराए के मकानों में रहने वाले विद्यार्थियों, मजदूरों, आउटसोर्स कर्मचारियों और नौकरीपेशा लोगों पर पड़ रहा है। शहरी इलाकों में कई मकान मालिक अलग-अलग किराएदारों के लिए अलग बिजली मीटर लगवाते हैं, लेकिन अब सब्सिडी बंद होने के कारण इन परिवारों का मासिक खर्च बढ़ गया है। भाजपा ने कहा कि पहले ही बढ़ती महंगाई और रोजगार संकट से जूझ रहे लोगों के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ बेहद कठिन साबित हो रहा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक विषय बन सकता है। राज्य में बिजली उत्पादन और जलविद्युत परियोजनाएं लंबे समय से राजनीति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। ऐसे में यदि बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी होती है, तो इसका असर सीधे आम जनता की नाराजगी के रूप में सामने आ सकता है। भाजपा इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है।
दूसरी ओर कांग्रेस सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है और वित्तीय दबाव के बावजूद जनता को राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार आर्थिक प्रबंधन में विफल रही है और उसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। भाजपा का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में जनता के हित में काम करना चाहती है, तो उसे बिजली दरों में राहत देनी चाहिए और चुनावी वादों को ईमानदारी से लागू करना चाहिए।
प्रदेश में बढ़ते बिजली बिलों को लेकर आम लोगों में भी असंतोष दिखाई देने लगा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले जहां बिजली बिल सीमित दायरे में रहते थे, वहीं अब घरेलू खर्च का बड़ा हिस्सा बिजली भुगतान में जाने लगा है। खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों और छोटे कारोबारियों पर इसका अधिक असर पड़ रहा है। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि पर्यटन आधारित राज्य होने के कारण बिजली खर्च बढ़ने से कारोबार की लागत भी बढ़ रही है।
भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने बिजली दरों और सब्सिडी को लेकर अपनी नीति में बदलाव नहीं किया, तो पार्टी प्रदेशभर में आंदोलन चलाएगी। कर्ण नंदा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता से किए गए वादों को भूल चुकी है और अब लोगों को केवल महंगे बिल और अतिरिक्त करों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में जनता इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगी।
हिमाचल प्रदेश में बिजली बिलों को लेकर शुरू हुआ यह राजनीतिक विवाद अब केवल आर्थिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह सरकार की विश्वसनीयता और चुनावी वादों से जुड़ा बड़ा सवाल बनता जा रहा है। विपक्ष इसे जनता के साथ विश्वासघात बता रहा है, जबकि सरकार आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देकर अपने फैसलों को सही ठहराने में जुटी है।